दन्तेवाड़ा धाम प्रबंधन सोसयटी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

रूचि की अभिव्यक्ति
(Expression of Intrest–EOI)

क्रमांक /07 / द.धा.प्र.सो. / 2024–25 दन्तेवाड़ा, दिनांकः– 1 / 07 / 2024

जिला मुख्यालय दन्तेवाड़ा में निर्मित ऑडिटोरियम में चलचित्र प्रदर्शन तथा सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण तथा उद्यान / मनोरंजन केन्द्र / खेल क्षेत्र का विकास कार्य कराया जायेगा।

कार्य का दायराः–

1. निर्माणः– (अ) ऑडिटोरियम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु कुल क्षेत्रफल (260x20) वर्गफीट फीट में निर्माण करेगी एवं आस–पास क्षेत्र में लैंड्स्केपिंग हेतु विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगे।
   (ब) ऑडिटोरियम के पीछे उद्यान / मनोरंजन केन्द्र / खेल क्षेत्र कुल क्षेत्रफल (120x60) वर्गफीट में विकास कार्य किया जाना है। जिसके लिए विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगे।
2. संचालनः– ऑडिटोरियम में चलचित्र प्रदर्शन तथा सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन का प्रबंधन करेगी, सेवा और स्वच्छता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगे।
3. रखरखावः– ऑडिटोरियम, शॉपिंग काम्पलेक्स एवं उद्यान की सफाई और उच्चतम रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

लीज की शर्तेः–

1. चयनित कंपनी को 10 वर्षो के लिए ऑडिटोरियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं उद्यान के संचालन हेतु लीज दिया जायेगा।
2. ऑडिटोरियम हेतु 5,00,000.00 (पॉच लाख) एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हेतु 5,00,000.00 (पॉच लाख) लीज राशि की बैंक ड्राफ्ट पृथक–पृथक तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।
3. ऑडिटोरियम का मूल किराया रूपये 50,000.00 (पचास हजार रूपये) प्रति माह।
4. बोलीः– कंपनियां प्रति माह 50,000.00 (पचास हजार रूपये) के मूल किराए से ऊपर दिए जाने वाले उच्चतम किराए के लिए बोली लगाएंगे।
5. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मूल किराया रूपये 10000.00 प्रति माह होगा।
6. बोलीः– कंपनियां प्रति माह 10000.00 के मूल किराए से ऊपर दिए जाने वाले उच्चतम किराए के लिए बोली लगाएंगे।

उपरोक्तानुसार कार्य में रूचि रखने वाले फर्म / कंपनी / इच्छुक व्यक्ति सभी फॉर्म दिनांक 19.07.2024 तक ऑनलाईन https://dantewada.nic.in अथवा कार्यालय जिला पंचायत दन्तेवाड़ा से प्राप्त कर सकते है।

EOI प्रारंभ की तिथि	दिनांक 04 / 07 / 2024 समय सुबह 10.00 बजे
EOI जमा करने की तिथि	दिनांक 19 / 07 / 2024 समय अपरान्ह 3.00 बजे तक
EOI खोले जाने की तिथि	दिनांक 19 / 07 / 2024 समय अपरान्ह 4.30 बजे तक

01-07-24

सचिव
दन्तेवाड़ा धाम प्रबंधन सोसायटी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा(छ0ग0)

Expression of Interest:- Notice inviting tenders for construction of auditorium, new shopping complex and garden/entertainment center/sports area development work at district headquarters Dantewada

//नियम एवं शर्ते//

जिला मुख्यालय दन्तेवाड़ा में निर्मित ऑडिटोरियम में चलचित्र प्रदर्शन/सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु अधिकृत फर्मो से निविदा दरें एवं शॉपिंग काम्पलेक्स निर्माण तथा उद्यान निर्माण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। निविदा शर्ते निम्नानुसार है :-

1. निविदा प्रपत्र कार्यालय दन्तेवाड़ा धाम प्रबंधन सोसायटी, दन्तेवाड़ा से दिनांक-04/07/2024 को समय 10:00 बजे से आवेदन प्रस्तुत कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता हैं।
2. पूर्णतः भरे हुये निविदा प्रपत्र दिनांक-19/07/2024 को समय 03:00 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय दन्तेवाड़ा धाम प्रबंधन सोसायटी, दन्तेवाड़ा में पंजीकृत लिफाफे में प्रस्तुत किया जा सकेगा। समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। निविदा दिनांक-19/07/2024 को अपरान्ह 04:30 बजे निविदाकारों की उपस्थिति में कार्यालय दन्तेवाड़ा धाम प्रबंधन सोसायटी, दन्तेवाड़ा के सभा कक्ष में खोली जावेगी।
3. निविदाकारों के द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होना चाहिए।
4. निविदा प्रपत्र में लिखी गई प्रत्येक प्रविष्टि स्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए। अंको में लिखी गई जानकारी शब्दों में भी लिखी होनी चाहिये। मासिक किराया की दर में कांटछांट या ओव्हर राईटिंग पाये जाने पर निविदाकार द्वारा दी गई दर को अमान्य किया जावेगा।
5. ऑडिटोरियम हेतु लीज राशि 5,00,000/- (शब्दों में :-पॉच लाख रूपये) एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हेतु लीज राशि 5,00,000/- (शब्दों में :-पॉच लाख रूपये) का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट दन्तेवाड़ा धाम प्रबंधन सोसायटी, दन्तेवाड़ा के नाम संलग्न होना अनिवार्य होगा। लीज राशि के अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
6. निविदाकार को पिछले 03 वर्ष का आयकर रिर्टन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. निविदाकारों को अपनी निविदा में जी.एस.टी. के अंतिम Quarterly Return की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निविदाकार को फर्म/कंपनी के पंजीयन प्रमाण, पैन कार्ड एवं जीएसटी की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. चलचित्र प्रदर्शन एवं टिकट वितरण के लाइसेंसधारी फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी। ऐसे सेवा प्रदाता संस्थान जिन्हें बस्तर क्षेत्र में मनोरंजन व्यवसाय से जुड़ी संस्था संचालित करने का अनुभव है उन्हें वरीयता दी जावेगी।

10. निविदाकार द्वारा अपना निविदा प्रपत्र मूल फार्म में प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा प्रस्ताव A, B, C एवं D चार मोहरबंद लिफाफों में निम्नानुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–

क्र.	लिफाफा	लिफाफे का शीर्षक	लिफाफा में भरे जाने वाली सामग्री
1	A	निविदा शर्ते तथा लीज राशि	निविदाकार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ में हस्ताक्षरित रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र तथा निर्धारित लीज राशि का बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।
2	B	तकनीकी निविदा प्रपत्र	विस्तृत प्रस्ताव व ड्राइंग लिफाफा "बी" में रखे। निविदाकार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ में हस्ताक्षरित तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा समस्त वांछित दस्तावेज की स्व. सत्यापित प्रति।
3	C	वित्तीय निविदा प्रपत्र	उच्चतम बोली संबंधित दस्तावेज लिफाफा "सी" में रखे। निविदा द्वारा प्रत्येक पृष्ठ में हस्ताक्षरित वित्तीय निविदा प्रपत्र (जिसमें निविदा दरें अंकित की जावेगी)
4	D	जिला दन्तेवाड़ा में ऑडीटोरियम संचालन संबंधी निविदा	A, B, C तीनों लिफाफों को सील बंद किया जाकर एवं बड़े लिफाफे D में रखकर सीलबंद किया जाना होगा।

11. निविदा खोलने की कार्यवाही कार्यालय दन्तेवाड़ा धाम प्रबंधन सोसायटी, दन्तेवाड़ा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा की जावेगी। सबसे पहले लिफाफ D को खोलकर लिफाफा "A" एवं लिफाफा "B" एवं "C" को पृथक किया जावेगा। इसके पश्चात् सर्वप्रथम लिफाफा "A" खोला जावेगा। निविदा शर्तो के अनुसार लिफाफा "A" पृथक से प्रस्तुत नहीं करने पर निविदाकार को अपात्र घोषित कर दिया जावेगा। लिफाफा "A" निविदा शर्तो के अनुसार सही पाये जाने पर लिफाफा "B" समिति द्वारा खोले जावेंगे। लिफाफा "B" सही पाये जाने तथा निविदाकार के पात्र पाये जाने पर ही लिफाफा "C" वित्तीय निविदा लिफाफा को खोला जावेगा।
12. किसी भी समय आवश्यक होने पर निविदा रद्द करने का अधिकार दन्तेवाड़ा धाम प्रबंधन सोसायटी, दन्तेवाड़ा के पास सुरक्षित रहेगा।
13. फर्म को छत्तीसगढ़ चलचित्र अधिनियम 1952 (Chhattisgarh Cinemas, Regulation Act 1952) तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी सभी नियमों तथा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। चलचित्र प्रदर्शन एवं टिकट वितरण के लाइसेंसधारी फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।
14. चलचित्र प्रारंभ होने एवं मध्यान्तर में विभिन्न शासकीय जनोपयोगी योजनाओं तथा सूचनाओं का विज्ञापन प्रदर्शन अनिवार्य होगा।
15. फर्म को सिनेमा घर चलाने का 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।

16. फर्म को संचालन से संबंधित सभी लाईसेंस सभी विभागों से पूर्व में अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी होगी। इस कार्य हेतु जिला प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। फर्म के विरूद्व किसी न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नही होना चाहिये, अन्यथा की स्थिति में निविदा अस्वीकार्य किया जावेगा।
17. ऑडिटोरियम में फर्म को अग्नि सुरक्षा से संबंधित शासन द्वारा निर्धारित समस्त मानकों का पालन एवं व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करना बंधनकारी होगा।
18. ऑडिटोरियम का मासिक किराया न्यूनतम राशि रू. 50,000.00 (शब्दों में :– पचास हजार रूपये मात्र) एवं शॉपिंग काम्पलेक्स का मासिक किराया राशि रू. 10000.00 (शब्दों में :– दस हजार रूपये मात्र) निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त ऑडिटोरियम के बिजली बिल का भुगतान एवं संपूर्ण व्यवस्था/साफ–सफाई/देख–रेख का कार्य फर्म के द्वारा किया जावेगा। फर्म के द्वारा प्रत्येक माह का किराया अग्रिम देना अनिवार्य होगा। मासिक किराया माह की 05 तारीख तक जमा कराना अनिवार्य होगा। नियत तिथि पश्चात् प्रतिदिन रूपये 500/– के मान से विलंब शुल्क लगेगा। पात्रता रखने वाले अधिकतम बोलीदार का चयन नियमानुसार किया जायेगा।
19. ऑडिटोरियम का भवन जिस अवस्था में दिया जावेगा उसी अवस्था में लौटाना अनिवार्य होगा।
20. ऑडिटोरियम, शॉपिंग काम्पलेक्स एवं उद्यान को 10 वर्षो के लिए लीज पर दिया जायेगा।
21. ऑडिटोरियम सौपंते समय एवं वापसी के समय विडियोग्राफी कराई जावेगी।
22. पार्किंग की व्यवस्था संचालक के द्वारा उचित तरीके से की जावेगी। जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति न हो। इस हेतु फर्म को सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था भी करनी अनिवार्य होगी।
23. स्थानीय युवाओं को रोजगार तथा कैंटीन चलाने की अनुमति कार्यालय दन्तेवाड़ा धाम प्रबंधन सोसायटी, दन्तेवाड़ा के अनुमोदन के उपरांत अनिवार्य एवं बंधनकारी होगी।
24. जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न आयोजनों के लिये ऑडिटोरियम मांगे जाने पर बिना शर्त तत्काल दिया जाना बंधनकारी होगा।
25. 30 दिवस के नोटिस पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार कार्यालय दन्तेवाड़ा धाम प्रबंधन सोसायटी, दन्तेवाड़ा को होगा।
26. फर्म द्वारा नियोजन में उपलब्ध कराये गये श्रमिकों पर श्रम से संबंधित कानून बंधनकारी होगें।
27. ऑडिटोरियम का रख–रखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
28. ऑडिटोरियम के बगल में कुल क्षेत्रफल (260.00X20.00) वर्गफीट पर शॉपिंग काम्पलेक्स का निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा।
29. ऑडिटोरियम के पीछे उद्यान/मनोरंजन केन्द्र/खेल क्षेत्र कुल क्षेत्रफल (120.00X60.00) वर्गफीट पर निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा।
30. जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त नियम–निर्देशों का पालन संस्था द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय दन्तेवाड़ा धाम प्रबंधन सोसायटी, दन्तेवाड़ा का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिये बंधनकारी होगा।

01-07-24
सचिव
दन्तेवाड़ा धाम प्रबंधन सोसायटी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा(छ0ग0)